

डिग्री बमुकदमें ईब्लादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 195/2018

1. कुलपिन्द्रसिंह पुत्र कलगासिंह जाति जटसिख निवासी करीवाला थेड़ तहसील रानियां जिला सिरसा। वादी

बनाम

1. गुरमीतकौर पत्नी कलगासिंह जाति जटसिख निवासी करीवाला थेड़ तहसील रानियां जिला सिरसा।
2. 2.वीरपालकौर पत्नी जरनैतसिंह पुत्री कलगासिंह जाति जटसिख निवासी वार्डनं0 01,लाहोरिया मोहल्ला मुक्तसर पंजाब।
3. 3.गगनदीप कौर पुत्री कलगासिंह जाति जटसिख निवासी करीवाला थेड़ तहसील रानियां जिला सिरसा। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 1 टीएल डबल्यू ए के खाता सं0 122/184 में कुल 1.024 है0 में 1/2 हिस्सा मे से कलगासिंह के 1/4 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं0 24/20 में कुल .784 है0 में कल्याणसिंह के 1/5 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 177/165 में प0न0 242/290 मु0 6 किलानं0 5,6, कुल .506 है0 में 1/4 में से कल्याणसिंह के 1/2 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 1 टीएल डबल्यू के खाता सं0 24/20 व इसी चक के खाता सं0 177/165 मे से कल्याणसिंह तथा चकनं0 1 टीएल डबल्यू ए के खाता सं0 122/184 मे से कलगासिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तकअदा करे।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07/10/19 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी